दिनांक 23 / 10 / 2025

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2025 मॉप अप चरण की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका (Advisory)

1. मॉप अप चरण की कांउसिलिंग में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग से पूर्व रूपये 2 लाख एवं एन0आर0आई0 अभ्यर्थी के लिये रूपये 10 लाख सिक्योरिटी राशि के रूप में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेशित अभ्यर्थी जिनके द्वारा मॉप अप चरण में अपग्रेडेशन हेतु विकल्प दर्ज किया गया हो, उनके द्वारा प्रवेशित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जमा की गई शैक्षणिक शुल्क में सिक्योरिटी राशि समायोजित होगी।
2. प्रथम अथवा द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जिनके द्वारा मॉप अप चरण के लिये अपग्रेडेशन का विकल्प लिया गया था, ऐसे अभ्यर्थियों को अपग्रेड होने पर नवीन आवंटित संस्था में पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी जो अपनी पूर्व प्रवेशित संस्था में ही विषय अथवा श्रेणी में अपग्रेड हुये हैं उन्हें भी उसी संस्था में पुनः प्रवेश प्रक्रिया कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. अभ्यर्थी जिन्हें मॉप अप चरण में आवंटन हुआ है एवं आवंटन उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया जाता है ऐसे अभ्यर्थियों की मॉप अप चरण की च्वाईस फिलिंग से पूर्व जमा कराई गई निर्धारित सिक्योरिटी राशि रूपये 2 लाख एवं एन0आर0आई0 अभ्यर्थी के लिये रूपये 10 लाख सिक्योरिटी राशि राजसात कर ली जायेगी ।
4. मॉप अप चरण की काउंसिलिंग प्रारंभ होने के उपरान्त यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी सीट से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर सीट लिविंग बॉण्ड लागू होगा।

23/10/25

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश